फर्द अहकाम

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल बनाम गणेश वगै0

न्यायालयः– उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

रण संख्याः– 35/ 2.4.18

स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि0वि0
	02.04.18	तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम कुडियों का बास तह0 किशनगढ रेनवाल का पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 10.08.16 को जारी राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प.3(2) राज–6/2003/पार्ट के क्रम में ख0न0 55, 52/4, 52/1, 59, 284/59, 55/2, 56/1, 57/1 एवं 59/1 के सभी सह खातेदारों नें रास्ते दर्ज करवाने हेतु सहमति के आधार पर राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रैस के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने प्रेषित किये है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रैस एवं पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का व तहसीलदार किशनगढ रेनवाल की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम कुडियों का बास तह0 किशनगढ रेनवाल के आराजी ख0न0 55, 52/4, 52/1, 59, 284/59, 55/2, 56/1, 57/1 एवं 59/1 में से ख0न0 55 मि. रकबा 0–03–10, 55/1 मि. रकबा 0–03–02, 284/59 मि. रकबा 0–00–10, 59 मि. रकबा 0–01–14, 52/1 मि. रकबा 0–02–06, 284/59 मि. रकबा 0–00–16, 52/4 मि. रकबा 0–01–06, 59/1 मि. रकबा 0–00–11, 56/1 मि. रकबा 0–02–10 एवं 57/1 मि. रकबा 0–04–14 के खातेदारों की सहमति एवं तहसीलदार किशनगढ रेनवाल की अनुशंसा के आधार पर किस्म भूमि मौका स्थिति अनुसार गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित की जाकर प्रस्तावित तरमीम अनुसार नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जावें। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश की प्रति एवं प्रस्तावित नक्शे की एक प्रति अमल दरामद हेतु भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 02.04.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सॉंभर लेक	

Scanned by CamScanner